Number of Case ... 250

5 बंशीलाल ... Versus ...

Date	Order with initials of Presiding Officer
17.12.21	पत्रावली पेश हुई। जो अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय ... से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा में प्राप्त हुई जो ... रजिस्टर की गई, तत्पश्चात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या ... अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित हुए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त विचाराधीन अपील बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा एक अपील माननीय अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें प्रत्यर्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। जिस पर न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.11.20 को प्रत्यर्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया। अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश के विरूद्ध एक निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या एलआर/4722/2020/ जोधपुर अनवान कौशल्या बनाम बंशीलाल वगैराह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष लम्बित राजस्व अपील संख्या 222/2019 अनवान बंशीलाल बनाम कौशल्या वगैराह को अपने आदेश दिनांक 1.10.2021 के द्वारा अपास्त कर खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निस्तारित किये जाने के पश्चात अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा एक राजस्व अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2005 की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश दिया हुआ है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर की मूल पत्रवाली अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर की अपील संख्या 222/2019 में सलंग्न की हुई है वो रेकर्ड विचाराधीन पत्रावली को निस्तारित करते हुए फेसल शुमार किये बिना तहसीलदार जोधपुर को पुन प्रेषित नहीं की जा सकती है। अंतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः निवेदन है कि उपरोक्त स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई अपील संख्या 222/2019 अनवान बंशीलाल बनाम कौशल्या वगैराह को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 के अनुसरण में विचाराधीन राजस्व अपील को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज/निरस्त कर पत्रावली को फेसल शुमार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Order Sheet (Subsequent)

21/220 अपील 22.250/2021 CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

बंशीलाल .... Versus कौशल्या वगैरह ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पत्र संख्या एलआर/4722/2020/जोधपुर अनवान कौशल्या बनाम बंशीलाल वगैराह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार जोधपुर द्वारा तहसीलदार की हैसियत से वसीयत सम्बन्धी प्रकरण प्रस्तुत होने पर नामान्तरकरण दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही जो राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत है, में दिनांक 6.11.2020 को पारित किये गये आदेश पर सम्भागीय आयुक्त जोधपुर एवं अति0 सम्भागीय आयुक्त जोधपुर को भू अभिलेख निदेशक की हैसियत से सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होकर अपील जिला कलेक्टर न्यायालय को है। जिस बाबत राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा राज0 उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) आरआरटी 359 में प्रतिपादित मत का उल्लेख किया है। इसके अनुसार तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध सम्भगीय आयुक्त/अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय को अपील पर श्रवण की श्रेत्राधिकारिता नहीं होकर जिला कलैक्टर न्यायालय को होने के आधार पर अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 222/2019 अनवान बंशीलाल बनाम कौशल्या वगैराह में दिनांक 6.11.2020 को पारित आदेश को निरस्त किया गया है तथा प्रस्तुत अपील सुनवाई क्षेत्राधिकारिता पर पोषणीय नहीं होने से उसे निरस्त किया गया है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या एलआर/4722/2020/जोधपुर अनवान कौशल्या बनाम बंशीलाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2021 के अनुसरण उपरोक्त विचाराधीन अपील अनवान बंशीलाल बनाम कौशल्या वगैराह को सुनवाई क्षेत्राधिकार के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड मय आदेशिका की सत्यप्रति सहित लौटाया जावें। 1/11/2021 डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर डिविजनल कमिश्नर	